प्रेस नोट
दिनांक 16.02.2025

थाना को0 मनकापुर पुलिस द्वारा जालसाजी करने के वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार–

कार्यवाहीः–

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक गोण्डा पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी मनकापुर श्री राजेश कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना मनकापुर पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0–45/23, धारा 419,420,467,468,471,120बी भादवि से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त राकेश तिवारी पुत्र स्व0 रामफेर तिवारी नि0 ग्राम मदनापुर भान थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा को झिलाही क्रासिंग मोड़ के पास से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

वादी बदलू पुत्र ठाकुरदीन नि0 अमवा माफी थाना मनकापुर जनपद गोण्डा की तहरीर पर थाना मनकापुर में कूटरचित दस्तावेज तैयार कर विपक्षीगणों द्वारा जमीन बैनामा करा लेने के सम्बन्ध में अभियोग पंजीकृत हुआ था। जिसमें आज दिनांक 16.02.2025 को थाना मनकापुर पुलिस द्वारा विवेचना के उपरान्त प्रकाश में आये आरोपी अभियुक्त राकेश तिवारी को झिलाही क्रासिंग मोड़ के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना को0 मनकापुर पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. राकेश तिवारी पुत्र स्व0 रामफेर तिवारी नि0 ग्राम मदनापुर भान थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–45/23, धारा 419,420,467,468,471,120बी भादवि को0 मनकापुर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. उ0नि0 पिन्टू यादव।
02. हे0का0 सुरेश कुमार गुप्ता।
03. हे0का0 वीरेन्द्र कुमार।
04. का0 रवि सिंह।

मीडिया सेल, गोण्डा।